राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	175/2017 डॉ. राजेन्द्र कक्कड़	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, सचिवालय, जयपुर। 3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान सरकार, जयपुर। 4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, ज्योति नगर, जयपुर।	06.02.2017	श्री अशोक बंसल, अभिभाषक एवं श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता
2.	176/2017 डॉ. मुरारी लाल सैनी			
3.	177/2017 डॉ. विद्या सागर			
4.	237/2017 डॉ. आशीष भारतीय		10.02.2017	श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक एवं श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता
5.	238/2017 डॉ. रविन्द्र तामरा			
6.	284/2017 डॉ. पुरूषोत्तम लाल गुप्ता		17.02.2017	श्री अशोक बंसल, अभिभाषक एवं श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता
7.	647/2017 डॉ. अन्जू गुप्ता	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जोन, कोटा।	24.03.2017	
8.	691/2017 डॉ. के.सी. गुप्ता		03.04.2017	

आदेश की दिनांक : 03.06.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 175/2017 डॉ. राजेन्द्र कक्कड़ बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.2017 को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त आदेश के द्वारा जो वसूली निकाली गई है, उसे रोके जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 24.02.1987 को हुई थी और राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के प्रावधानानुसार अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2002–03 के विरूद्ध वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर वर्ष 2006 में पदोन्नत किया गया। राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा शिक्षक की पदोन्नति दिये जाने के संबंध में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियम, 2012 के अंतर्गत डीएसीपी स्कीम बनाई गई, जिसमें आवश्यक सेवा पूर्ण होने पर पदोन्नति पद का वेतनमान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। उनका कथन है कि संशोधित नियमों के अनुसार दिनांक 08.02.2013 को उप निदेशक एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं समकक्ष पदों पर ग्रेड पे 7600 दिया जाना उचित बताया है, जिसमें ग्रेड पे 6600 पर 6 वर्ष की सेवा अथवा उससे अधिक होने पर अथवा क्लॉज 3 के अनुसार चिकित्सा अधिकारी मय दंत जिनकी नियमित नियुक्ति दिनांक से 18 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी हो या उससे अधिक, को वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 09.08.2011 के अनुसार एसएसएमओ मय दंत/उप सीएमएचओ/कनिष्ठ विशेषज्ञ जिनकी ग्रेड पे 6600 हो, दिनांक 11.07.2011 को उप निदेशक, सीएमएचओ एवं समकक्ष पद/वरिष्ठ विशेषज्ञ ग्रेड पे 7600 पर पदोन्नति योग्य होंगे और इस प्रकार अपीलार्थी ग्रेड पे 7600 में निर्धारित किया गया तथा दिनांक 28.02.2014 को अपीलार्थी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। उनका कथन है कि सेवानिवृत्ति पश्चात् अपीलार्थी को संशोधित नियमों के अनुसार ग्रेड पे 8700 का लाभ दिनांक 11.07.2013 से दिया गया था और अधिसूचना दिनांक 08.02.2013 के अनुसार 18 प्रतिशत कुल कैडर स्ट्रेन्थ के विरूद्ध ग्रेड पे 8700 की स्वीकृति दी गई है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ग्रुप–2 के आदेश दिनांक 17.06.2014 एवं 07.07.2014 में स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 13.06.2014 के द्वारा 18 प्रतिशत सीमा के अंदर कुछ डॉक्टरों को ग्रेड पे 8700 प्रदान की गई थी और इस प्रकार अपीलार्थी को ग्रेड पे 8700 पुर्निधारित की गई और पेंशन भुगतान आदेश भी दिनांक 10.04.2015 को रिवाईज किया गया। पेंशन परिलाभ आदि भी आदेश दिनांक 13.06.2014 के अनुसार दिया गया। अपीलार्थी को उक्त ग्रेड पे का लाभ नियमानुसार दिया गया है और उसे प्रत्याहरित अथवा निरस्त नहीं किया जा सकता। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.2017 जारी किया गया, जो उक्त नियम एवं प्रावधानों के विपरीत है। उनका कथन है कि उक्त आदेश के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग वसूली

करने जा रहा है। जबकि शीर्षस्थ न्यायालय द्वारा रफीक मसीह वाले मामले में ऐसी वसूली आदेशों को उचित नहीं माना है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.2017 को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त आदेश के द्वारा जो वसूली निकाली गई है, उसे रोके जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 08.02.2013 के द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषा पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को दिनांक 11.07.2011 से डीएसीपी स्कीम के अंतर्गत ग्रेड पे 7600 में पदोन्नत वेतन श्रृंखला स्वीकृत की गई और आदेश दिनांक 07.07.2014 के अंतर्गत दिनांक 13.06.2014 एवं 17.06.2014 के द्वारा डीएसीपी स्कीम के अंतर्गत ग्रेड पे 8700 में प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रमुख विशेषज्ञ/अपर निदेशक के पदों पर पदोन्नत चिकित्सकों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के कुल संवर्ग पदों की अधिकतम 18 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत ही पदोन्नति प्रदान की गई है। वित्त विभाग के परामर्श अनुसार चिकित्सकों को ग्रेड पे 8700 को दिनांक 11.07.2013 से स्वीकृत नहीं कर दिनांक 01.04.2014 से स्वीकृत की गई है। फलस्वरूप आदेश दिनांक 24.01.2017 के द्वारा अपीलार्थी जो दिनांक 01.04.2014 से पूर्व दिनांक 28.02.2014 को राज सेवा से सेवानिवृत्त हो जाने के कारण डीएसीपी स्कीम के अंतर्गत पूर्व में दी गई दिनांक 11.07.2013 से पदोन्नति निरस्त की। अपीलार्थी दिनांक 11.07.2011 को डीएसीपी स्कीम के तहत प्रमुख मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदोन्नति पश्चात् दिनांक 01.04.2013 को 2 वर्ष की राज सेवा पूर्ण नहीं करता है। अतः दिनांक 01.04.2014 से डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति देय होने पर उक्त पदोन्नति निरस्त की गई है, जो नियमानुसार है। इस पर अधिक भुगतान की रिकवरी कार्मिक से की जानी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विनिर्णय वी गंगाराम बनाम रिजनल संयुक्त निदेशक एससीसी 1997 वोल्यूम नं. 6 पेज नं. 139 में स्पष्ट कर दिया है कि अगर गलतियों से किसी को अधिक भुगतान कर दिया है तो उसकी रिकवरी की जा सकती है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 24.02.1987 को हुई थी और राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के प्रावधानानुसार अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2002–03 के विरूद्ध वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर वर्ष 2006 में पदोन्नत किया गया। राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा शिक्षक की पदोन्नति दिये जाने के संबंध में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियम, 2012 के अंतर्गत डीएसीपी स्कीम बनाई गई, जिसमें आवश्यक सेवा पूर्ण होने पर पदोन्नति पद का वेतनमान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। उनका कथन है कि संशोधित नियमों के अनुसार दिनांक 08.02.2013 को उप निदेशक एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं समकक्ष पदों पर ग्रेड पे 7600 दिया जाना उचित बताया है, जिनकी नियमित नियुक्ति दिनांक से 18 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी हो या उससे अधिक, को वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 09.08.2011 के अनुसार एसएसएमओ मय दंत/उप सीएमएचओ/कनिष्ठ विशेषज्ञ जिनकी ग्रेड पे 6600 हो, दिनांक 11.07.2011 को उप निदेशक, सीएमएचओ एवं समकक्ष पद/वरिष्ठ विशेषज्ञ ग्रेड पे 7600 पर पदोन्नति योग्य होंगे और इस प्रकार अपीलार्थी ग्रेड पे 7600 में निर्धारित किया गया तथा दिनांक 28.02.2014 को अपीलार्थी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। सेवानिवृत्ति पश्चात् अपीलार्थी को संशोधित नियमों के अनुसार ग्रेड पे 8700 का लाभ दिनांक 11.07.2013 से दिया गया था। जहां तक आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.2017 के द्वारा दिनांक 01.04.2014 से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाने के कारण डीएसीपी स्कीम के अंतर्गत पूर्व में दी गई दिनांक 11.07.2013 से पदोन्नति निरस्त किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 13.06.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम 24बी एवं 24बीबी(5) के अंतर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषा पर डीएसीपी स्कीम के अंतर्गत दिनांक 11.07.2013 से प्रमुख मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर ग्रेड पे 8700 में पदोन्नत किया गया और उक्त पदोन्नति नियमों एवं प्रावधानानुसार की गई है। डीएसीपी स्कीम के अंतर्गत वित्त विभाग के परामर्श अनुसार दिनांक 11.07.2011 को डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पश्चात् 2 वर्ष की राज सेवा दिनांक 11.07.2013 को अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ दिया गया है और राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 08.02.2013 जारी की गई, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख किया गया :–

"The Medical Officer including Dental who have completed total service of 18 years or more as on 11.07.2011 after regular appointment as per the provisions of the relevant recruitment rules and have been promoted under Finance Department Memorandum dated 09.08.2011 on the post of Senior Medical Officer including Dental/Deputy Chief Medical and Health Officer and equivalent post/Junior Specialist in grade pay of Rs. 6600/- as on 11.07.2011, shall be eligible for promotion on the post of Deputy Director/Chief Medical and Health Officer and equivalent post/Senior Specialist in grade pay of Rs. 7600/- after completion of service of two years instead of 6 years in the grade pay of Rs. 6600/-. The third DACP in grade pay of Rs. 8700/- shall be admissible on completion of service of four years instead of 6 years in the grade pay of Rs. 7600/- subject to availability of vacant post as per prescribed ceiling of posts."

राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी मेमोरेण्डम दिनांक 10.07.2012 जिसमें निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :–

"The Senior Medical Officer including Dental/Deputy Chief Medical and Health Officer and equivalent posts/Junior Specialist who have completed total service of 18 years or more as on 11.07.2011 after regular appointment as per provisions of the relevant recruitment rules and have also completed at least 6 years service in GP of Rs. 6600/- or in the corresponding existing pay scale as on 11.07.2011 and have been promoted under Memorandum of even number dated 09.08.2011 on the post of Deputy Director/Chief Medical and Health Officer and equivalent posts/Senior Specialist in GP of Rs. 7600/- as on 11.07.2011 shall be eligible for promotion on the post of Principal Chief Medical Officer/Additional Director and equivalent posts/Principal Specialist in the GP of Rs. 8700/- after completion of service of 2 years instead of 6 years in GP of Rs. 7600/- subject to availability of vacant post as per prescribed ceiling of posts.

(ii) the existing word and figure "maximum 5%" appearing in remarks column against S.No. 4 shall be substituted by the word and figure "maximum 18%".

This order shall come into force w.e.f. 11.07.2011. The above Time Bound Promotions shall be admissible only after necessary amendments in the relevant service rules to this effect."

इस प्रकार उपरोक्तानुसार जारी अधिसूचना दिनांक 08.02.2013 एवं मेमोरेण्डम दिनांक 10.07.2012 के अनुसार ही अपीलार्थी को डीएसीपी स्कीम के तहत 2 वर्ष पूर्ण होने पर ग्रेड पे 8700 का लाभ दिया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना नहीं पाते हैं। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती हैं और आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.2017 अपीलार्थीगण की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के संदर्भ में अपीलार्थीगण से वसूली नहीं की जावे।

मूल आदेश अपील संख्या 175/2017 डॉ. राजेन्द्र कक्कड़ बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य